भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

भूमि उच्छेद वाद सं0–01/2016–17

अंचल अधिकारी, गोड्डा

बनाम्

उमाकान्त सिंह

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष द्वारा पक्ष रखा गया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक– 934/रा0, दिनांक–29/06/2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा– गंगटा खुर्द, थाना नं0– 515, ज0 नं0–51, दाग नं0–1086/1386, रकवा–00–03–00 धुर जमीन जो खतियान में देवान हाँसदा वगैरह वर्त्तमान जमाबंदी रैयत जयनारायण हाँसदा वगैरह, पे0–रामकाश हाँसदा साकिन– गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, गोड्डा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री उमाकांत सिंह द्वारा दाग नं0– 1086 रकवा–00–03–00 धुर आदिवासी भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर घर बना लिया गया है।

अवैध दखलकार को नोटिश किया गया। श्री उमाकांत सिंह, पिता–स्व0 गौरी प्रसाद सिंह, ग्राम– गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा द्वारा वकालतन हाजरी दिया गया है।

उमाकांत सिंह द्वारा पक्ष रखा गया है। उनका कहना है कि 27.11.1937 में पनचन हाँसदा, ग्ग्रम– गंगटा खुर्द द्वारा विपक्षी के दादा गोपी प्रसाद सिंह को 00–03–00(तीन कट्ठा) जमीन कुर्फा नामा द्वारा लिखा गया। जयनारायण हाँसदा शपथ पत्र नं0–836/13–11– द्वारा शपथ किया गया है कि उनके दादा द्वारा बसाए गए भूमि से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। 00–03–00(तीन कट्ठा) भूमि पर अब वे पक्का मकान बनाकर रहते है। नगर पंचायत को हॉल्डिंग टैक्स भी देते है। उनके द्वारा संथाल परगना कास्कारी अधिनियम (पूरक) 1949 का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त परिस्थिति में स्पष्ट है कि उमाकांत सिंह, पिता–स्व0 गौरी प्रसाद सिंह, ग्राम– गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा द्वारा जालसाजीपूर्वक आदिवासी भूमि को कब्जा किया गया है।

भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना कास्कारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुरूप नहीं है।

संथाल परगना कास्कारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि अवैध रूप से अन्तरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि के उच्छेद का आदेश दिया जाता है। अंचलाधिकारी, गोड्डा अवैध रूप से दखल किए गए भूमि का उच्छेद कर वर्त्तमान जमाबंदी रैयत को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।